संख्या-157/2017/1435/26-3-2017-10(33)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 अक्टूबर, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-औरैया के ग्राम हरदू, तहसील-विधुना में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-274/स.क./विकास/2016-17, दिनांक-17.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रूपया-6000.00** लाख **(रूपया साठ करोड़ मात्र)** में से उपलब्ध धनराशि रूपया-5012.60 लाख (रूपया पचास करोड़ बारह लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष जनपद-औरैया, ग्राम हरदू, तहसील-विधुना में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की स्थापना हेतु अनुमोदित लागत **रूपया-2468.50 लाख (रूपया चौबिस करोड़ अड़सठ लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रूपया-**987.40 लाख (रूपया नौ करोड़ सत्तासी लाख चालीस हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(i i) योजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप हो।

(i i i) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(iv) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की द्विरावृत्ति न हो तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(viii) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्रम विकास सहकारी संघ लि0, को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके।

(x) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(xii) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाय।

(xiii) परियोजनाओं में टाईम ओवर-रन/कॉस्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017- एम-04/2017,दि0-21.06.2017में दिये गये दिशा-निर्देशो के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(xiv) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जानी वाली धनराशि के स्वीकृत आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-157/2017/1435(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5 जिलाधिकारी, औरैया।

6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, औरैया ।

7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

9 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।

10 निदेशक, एन0आई0सी0।

11 गार्डफाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।